



159

## न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2015 निगरानी

निगरानी ५५२-III-१८

डॉ. एस. चौहान - पड़.  
प्रकरण क्रमांक १४३/१५ नं.  
दिनांक १५/३/१५  
निवासी ग्राम हुसैनपुर, तहसील पोहरी  
शिवपुरी (म.प्र.)

अशोक कुमार पुत्र मांगीनाल रावत

निवासी ग्राम हुसैनपुर, तहसील पोहरी

शिवपुरी (म.प्र.) —————— अनावेदक

## बनाम

- 1— लक्ष्मण पुत्र जनवेद खंगार
- 2— नारायण पुत्र लट्ठू कोरी
- 3— मीरा पत्नी नारायण कोरी
- 4— केदार पुत्र वद्री खंगार
- 5— कमलेश पत्नी केदार खंगार
- 6— गंगाराम पुत्र गोरे जाटव
- 7— वैजन्ती पत्नी गंगाराम जाटव
- 8— फेरन सिंह पुत्र दुर्जन कोरी
- 9— रारुपी पत्नी फेरन सिंह कोरी
- 10— मंगल सिंह पुत्र हरज्ञान सेहर
- 11— रामदेही पत्नी मंगल सिंह सेहर
- 12— अमरलाल पुत्र अंतू सेहर
- 13— रामवती पत्नी अमर लाल सेहर

से मि त्यांक की गटे


वेदक प्र.क.

परिवेदित

निवासीगण— ग्राम हुसैनपुर, तहसील पोहरी

जिला शिवपुरी (म.प्र.) —————— अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा— 50 (1) म.प्र.भू राजस्व संहिता- 1959  
(नये संशोधन अधिनियम-2011) विरुद्ध आदेश न्यायालय  
अनुविभागीय अधिकारी परगना पोहरी जिला शिवपुरी के प्रकरण  
क्रमांक 40/2011-12/अ.मा. में पारित आदेश निगरानी  
30.12.2014 से परिवेदित होकर।



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक—निगरानी—552—तीन / 2015

जिला—शिवपुरी

अशोक कुमार विरुद्ध लक्षण आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
२६—०५—२०१९	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री डी.एस. चौहान अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी परगना पोहरी, जिला—शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 40/2011—12/अ.मा. में पारित आदेश दिनांक 30—12—2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—९—२०१८ को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर शिवपुरी, जिला—शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 16—07—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>(3)</p>	<p style="text-align: right;">(आर०क० जैन) ५७१९ संक्षेप</p>